न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 97/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 माया देवी पत्नि गोविन्दराम ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 यशोधरा पत्नि महावीर प्रसाद ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 कजोड पिता धन्ना कुमावत उम्र–वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2 कालू पिता धूला कुमावत उम्र–वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3 जमना लाल पिता धूला कुमावत उम्र–वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4 पांचू पिता हजारी कुमावत उम्र–वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5 रामदेव पिता हजारी कुमावत उम्र–वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6 रामलाल पिता हजारी कुमावत उम्र–वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
7 रामस्वरूप पिता हजारी कुमावत उम्र–वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
8 सत्यनारायण पिता धूला कुमावत उम्र–वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
9 सोहन पिता हजारी कुमावत उम्र–वयस्क निवासी श्रीनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
10 शाखा प्रबन्धक, बेंक ऑफ बडौदा शाखा कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा
11 भूमिधार, तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्रीमती मदीना बानू ––––वकील प्रार्थीगण
अनुपस्थित– अप्रार्थी संख्या 1 से 10
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां उपस्थित

निर्णय

दिनांक 28.04.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कनेछनकलां पटवार मण्डल क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 881 के आराजी संख्या 6305/5685 प्रार्थीगण के पक्ष में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण स्वयं की सहखातेदारी भूमि में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरे तक पहुंचना पडता है। –––

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

———प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी एवं अप्रार्थी संख्या 11 भूमिधारी की बिलानाम भूमि में से आते जाते रहे है। परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 5684, 6306/5685 के उत्तरी कोने से उत्तर से दखिण दिशा की ओर मेड के सहारे–सहारे एवं राजकीय भूमि खसरा संख्या 5572, 5569/5741 की दक्षिणी मेंड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 01 एवं अप्रार्थी संख्या 11 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 5684, 6306/5685, 5572, 5569/5741 भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 29.11.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, दलील/वजह प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना नियत सुनवाई पर गैर हाजिर रहने से विरूद्ध अप्रार्थीगण 01 लगायत 11 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रार्थी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए, प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी सहखातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है एवं न ही अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद है।
2. रिपोर्ट तहसीलदार में भी यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के निर्बाध आवागमन हेतु सबसे **निकटतम व सुगमतम** रास्ता है।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट में यह तथ्य प्रमाणित है कि मौजा कनेछनकलां स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी संख्या 5684 रकबा 0.77 में से 0.0216 हैक्टे. (36 मीटर गुणा 6 मीटर/216 वर्गमीटर), आराजी संख्या 6306/5685 रकबा 0.04 में से 0.0036 हैक्टे. (6 मीटर गुणा 6 मीटर/36 वर्गमीटर) तथा अप्रार्थी संख्या 11 भूमिधारी की राजकीय भूमि आराजी संख्या 5572 रकबा 0.26 में से 0.0240 हैक्टे. (40 मीटर गुणा 6 मीटर/240 वर्गमीटर), आराजी संख्या 5569/5741 रकबा 0.59 में से 0.0288 हैक्टे. (48 मीटर गुणा 6 मीटर/288 वर्गमीटर), कुल रकबा 0.0780 हैक्टयर (130 मीटर गुणा 6 मीटर/780 वर्गमीटर) भूमि नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। ———

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

——तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को 6 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। फिर भी अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा/क्षति हो इस दृष्टिकोण से 6 मीटर के स्थान पर निजी खातेदारी में से 3.5 मीटर एवं राजकीय भूमि में से 4.5 मीटर नवीन रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक मानता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के खण्डन स्वरूप ऐसा कोई तर्क/साक्ष्य नही प्रस्तुत नही कराया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये 20 फिट चौडे रास्ते के मुकाबले अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा/क्षति हो तथा कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस पर मनन करने के पश्चात मौजा कनेछनकलां स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की निजी खातेदारी आराजी संख्या 5684 रकबा 0.77 में से 0.0126 हैक्टे. (36 मीटर गुणा 3.5 मीटर/126 वर्गमीटर), आराजी संख्या 6306/5685 रकबा 0.04 में से 0.0021 हैक्टे. (6 मीटर गुणा 3.5 मीटर/21 वर्गमीटर) तथा अप्रार्थी संख्या 11 भूमिधारी की राजकीय भूमि आराजी संख्या 5572 रकबा 0.26 में से 0.0180 हैक्टे. (40 मीटर गुणा 4.5 मीटर/180 वर्गमीटर), आराजी संख्या 5569/5741 रकबा 0.59 में से 0.0216 हैक्टे. (48 मीटर गुणा 4.5 मीटर/216 वर्गमीटर), कुल रकबा 0.0543 हैक्टयर (543 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय उचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की निजी खातेदारी आराजी संख्या 5684 रकबा 0.77 में से 0.0126 हैक्टे. (36 मीटर गुणा 3.5 मीटर/126 वर्गमीटर), आराजी संख्या 6306/5685 रकबा 0.04 में से 0.0021 हैक्टे. (6 मीटर गुणा 3.5 मीटर/21 वर्गमीटर) तथा अप्रार्थी संख्या 11 भूमिधारी की राजकीय भूमि आराजी संख्या 5572 रकबा 0.26 में से 0.0180 हैक्टे. (40 मीटर गुणा 4.5 मीटर/180 वर्गमीटर), आराजी संख्या 5569/5741 रकबा 0.59 में से 0.0216 हैक्टे. (48 मीटर गुणा 4.5 मीटर/216 वर्गमीटर), कुल रकबा 0.0543 हैक्टयर (543 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल—दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 (आराजी संख्या 5684, 6306/5685 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0147 हैक्टेयर मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 10,763/—रूपये एवं इसी प्रकार से राज्य कोष में (आराजी संख्या 5572, 5569/5741 के वर्तमान खातेदार) रकबा 0.0396 हैक्टेयर मालियत राशि की दो गुना राशि कुल 19,330/—रूपये अदायगी कर दी जावेगी/जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 28 .04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.